रजिस्ट्री सं० डी–(डी)–72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 1976/फाल्गुन 26, 1897
No. 130] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 1976/PHALGUNA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

ORDERS

STAMPS

New Delhi, the 16th March 1976

S.O. 198(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 7/66, dated the 26th March, 1966, the Central Government hereby reduces, with effect from the 1st June, 1976 the duty with which an instrument of transfer of shares in an incorporated company or other body corporate is chargeable under article No. 62(a) of Schedule I to the said Act, to fifty paise for every hundred rupees or part thereof of the value of the share.

[No. 15-F. No. 471/17/76-Cus. VII]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

स्टाम्प

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1976

का० आ० 198(अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 26 मार्च, 1965 की अधिसूचना सं० 7/66 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार 1 जून, 1976 से इसके द्वारा, उस शुल्क को जो किसी निगमित कम्पनी में के या अन्य निगम निकाय में के शेयरों के अन्तरण की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद सं० 62 (क) के अधीन प्रभार्य है, घटा कर शेयर के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए पचास पैसे करती है ।

[सं० 15–एफ सं० 471/17/76–कस VII]

S.O. 199(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15 dated the 15th May, 1957, and No. 6 dated the 14th July, 1961, the Central Government hereby directs that with effect from the 1st June, 1976 the proper stamp duty chargeable on Bills of Exchange specified in items (b) and (c) in article 13 of the First Schedule to the said Act and promissory notes specified in item (b) of article 49 of the said Schedule shall be reduced to one-half of the rates specified against the said items (b) and (c) in the said article 13:

Provided that the rates of stamp duty mentioned above shall not apply to usance Bills of exchange or promissory notes drawn or made for securing finance from the Reserve Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, State Financial Corporation, Commercial banks and co-operative banks for (a) bonafide commercial or trade transactions, (b) seasonal agricultural operations or the marketing of crops, or (c) production or marketing activities of cottage and small scale industries and such instruments shall continue to bear the rates of stamp duty at one-fifth of the rates specified against the said items (b) and (c) in the said article 13.

Explanation 1.—For the purposes of the proviso —

(a) the expression "agricultural operations" includes animal husbandry and allied activities jointly undertaken with agricultural operations;

(b) "crops" include products of agricultural operations;

(c) the expression "marketing of crops" includes the processing of crops prior to marketing by agricultural producers or any organisation of such producers.

Explanation 2.—The duty chargeable shall, wherever necessary, be rounded off to the next five paise.

[No. 16-F. No. 471/17/76-Cus. VII]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

का० आ० 199(अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 15 मई, 1975 की अधिसूचना सं० 15 और तारीख 14 जुलाई, 1961 की अधिसूचना सं० 6 अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा यह निदेश देती है कि 1 जून, 1976 को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 13 में मद (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विनिमय-पत्र पर और उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 49 की मद (ख) में विनिर्दिष्ट वचन-पत्र पर प्रभार्य उचित स्टाम्प शुल्क घटा कर उक्त अनुच्छेद 13 की उक्त मद (ख) और (ग) के सामने विनिर्दिष्ट दर के आधे के बराबर कर दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की दर उस यूजेन्स विनिमय पत्र या वचन पत्र को लागू नहीं होगी जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगम, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों से (क) सद्भावी वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों के लिए, (ख) मौसमी कृषिक संक्रियाओं के लिए या उपज के विपणन के लिए अथवा (ग) कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पादन या विपणन की कार्य वाहियों के

लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए लिखे था रखे गए हैं और ऐसी लिखतों पर उक्त अनुच्छेद 13 की उक्त मद (ख) और (ग) में क्रमशः विनिर्दिष्ट दरों के पांचवें भाग के बराबर स्टाम्प शुल्क लगता रहेगा।

स्पष्टीकरण—1

इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए—

(क) "कृषिक संक्रियाओं" के अन्तर्गत पशुपालन और अन्य सम्बद्ध कार्य हैं जो कृषिक संक्रियाओं के साथ संयुक्त रूप से किए जाते है ;

(ख) "उपज" के अन्तर्गत कृषिक संक्रिया के उत्पाद है,

(ग) "उपज का विपणन" पद के अन्तर्गत कृषिक उत्पादकों द्वारा या ऐसे उत्पादकों के किसी संगठन द्वारा विपणन के पूर्व उपज का संस्करण भी है।

स्पष्टीकरण–2

जहां आवश्यक हो वहां प्रभार्य शुल्क को निकटतम उच्चतर पांच पैसे तक पूर्णांकित किया जाएगा।

[सं० 16-एफ० सं० 471/17/76-कस vii]

ओम प्रकाश मेहरा, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976